न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ)
पीठासीन अधिकारी :— श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1 / 427 / 12	13.12.2018	29.06.2018

उनवान

1. मनोहर लाल पुत्र श्री नानक चन्द निवासी ग्राम बहाला तहसील रामगढ जिला अलवर।

...................वादी

बनाम

1. सेवाराम
2. दलीप कुमार पुत्रांन नानक चन्द खत्री
3. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी बिशनदास
4. कुन्दन लाल
5. प्रेम कुमार
6. योगराज पुत्रांन बिशन दास खत्री
7. मीना,
8. अन्जू पुत्रीयान बिशनदास खत्री
9. श्रीमती हेमलाता पत्नी नरेश कुमार
10. लतेश पुत्र रमेश कुमार नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता हेमलता
11. पूजा
12. सिम्मी पुत्रीयान श्री नरेश कुमार
13. हेमलता
14. खिलन्दीबाई
15. नारयण देवी
16. बिमला पुत्रियान नानकचन्द जाति खत्री निवासियान ग्राम बहाला तहसील रामगढ जिला अलवर।
17. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब रामगढ जिला अलवर।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 930 रकबा 0.11 हैक्ट0 गै0मु0चाह वाके ग्राम बहाला तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। उक्त आरजी मुतनाजा पर वादी अर्से दराज से काबिज दाखिल चला आ रहा है। लेकिन वादग्रस्त आराजी सहबन पूर्वक प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी में दर्ज चली आ रही है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर मिन वादी का दिनांक 31

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर) राज0

दिसम्बर 1969 के पूर्व से कब्जा काश्त चली आ रही है। कि जिससे वादी को उक्त वादग्रस्त आराजीयात की बाबत खातेदारी अधिकार हांसिल हो चुके है। प्रतिवादीगण ने भी वादी के हक में उक्त आराजी पर मिन वादी के कब्जे की बाबत एक शपथ पत्र भी दिनांक 03.10.2012 को तहरीर किया है। उक्त आराजी मुतनाजा से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता व सरोकार नही है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि डिक्री इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर यह करार दिया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 930 रकबा 0.11 हैक्ट0 गै0मु0चाह वाके ग्राम बहाला तहसील रामगढ जिला अलवर का वादी को खातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर वादी को बहैसियत खातेदार दर्ज किये जाने का अहकाम जारी किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से तामिल बावजूद न्यायालय में उपस्थित नही हुए। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर / कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ में दिनांक 29.06.2018 को पेश हुई। वादी उपस्थित। वादी को सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। जिससे प्रतीत होता है कि आरजाी मुतनाजा पर वादी अर्से दराज से काबिज दाखिल चला आ रहा है। लेकिन वादग्रस्त आराजी सहबन पूर्वक प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी में दर्ज चली आ रही है। वादग्रस्त आराजीयात पर वादी का पूर्व से कब्जा काश्त चली आ रही है। कि जिससे वादी को आराजीयात के खातेदारी अधिकार हांसिल हो चुके है। प्रतिवादीगण ने भी वादी के हक में उक्त आराजी पर वादी के कब्जे की बाबत एक शपथ पत्र भी दिनांक 03.10.2012 को तहरीर किया है। जिससे साबित होता है कि आराजी मुतनाजा से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता व सरोकार नही है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 930 रकबा 0.11 हैक्ट0 गै0मु0चाह वाके ग्राम बहाला तहसील रामगढ जिला अलवर में से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

कर वादी को बहैसियत काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर वादी के नाम बहैसियत काबिज काश्तकार खातेदार का अंकन करें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत मुख्यालय रामगढ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/427 /12	13.12.2018	29.06.2018

उनवान

1. मनोहर लाल पुत्र श्री नानक चन्द निवासी ग्राम बहाला तहसील रामगढ जिला अलवर।

....................वादी

बनाम

1. सेबाराम
2. दलीप कुमार पुत्रांन नानक चन्द खत्री
3. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी बिशनदास
4. कुन्दन लाल
5. प्रेम कुमार
6. योगराज पुत्रांन बिशन दास खत्री
7. मीना,
8. अन्जू पुत्रीयान बिशनदास खत्री
9. श्रीमती हेमलाता पत्नी नरेश कुमार
10. लतेश पुत्र रमेश कुमार नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता हेमलता
11. पूजा
12. सिम्मी पुत्रीयान श्री नरेश कुमार
13. हेमलता
14. खिलन्दीबाई
15. नारयण देवी
16. बिमला पुत्रियान नानकचन्द जाति खत्री निवासियान ग्राम बहाला तहसील रामगढ जिला अलवर।
17. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब रामगढ जिला अलवर।

.... प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

<u>पर्चा डिक्री</u>

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 930 रकबा 0.11 हैक्ट0 गै0मु0चाह वाके ग्राम बहाला तहसील रामगढ जिला अलवर में से प्रतिवादीगण का नाम

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

कलमज़न कर वादी को बहैसियत काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर वादी के नाम बहैसियत काबिज काश्तकार खातेदार का अंकन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)